[illegible]

[illegible] पत्रावली [illegible]

[illegible] 126 [illegible]

[illegible] अभिभाषक [illegible] पेश किया। रिकॉर्ड पर [illegible] प्रस्तुत की गई। आवेदन पत्र [illegible] एमीनेंस [illegible] अभिभाषक को [illegible] तिथि [illegible] 4.10.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

4-10-22 वकीलगण फरीकैन उपस्थित। पीठासीन [illegible] दौरे/अवकाश पर है। [illegible] अस्त है। पत्रावली 31-10-22 को पेश हो।

31-10-22 वकीलगण फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर है। पेशी [illegible] है। पत्रावली दि. 25.11.22 को पेश हो।

25-11-22 अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक [illegible] कोर्ट कार्य स्थगित रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 25-1-23 को पेश हो।

16/12/22 पत्रावली आज क्रम बोर्ड में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि ख0 नं0 1335/0.64 है0 वाले मूल खेती के राजस्व रिकॉर्ड में गजमाल व अन्य गजपाल है तथा

पृ.सं. 6
क्र.सं. 6 बुटल कलां (गांव सभा)
प्रा० पत्र 136 LR Act

की सूचना चाही गई है जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि जगतपाल सिंह जगपाल एवं ही व्यक्ति हो ऐसी स्थिति में अर्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

इन्हीं कारणों से अर्थना-पत्र धारा 136 L.R. Act खारिज किया जाता है। आवश्यक निर्णय पृथक से होगा। नकल न्यूनतम दर पर देय है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को खुले कोर्ट में सुनाया गया।

पुनश्चय:- उक्त आदेशिका लिखे जाने के उपरान्त न्याय की दृष्टि से अधिवक्ता अर्थी को पुनः सुना गया। तथा अधिवक्ता अर्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत सरपंच कोटी प्रमाण-पत्र का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम जगतपाल सिंह पुत्र मंगल सिंह सही होना बताया एवं इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं बताया

मु० नं० 06 — कृष्ण बनाम राम० सरूपा
2022
प्रा० पत्र 136 L.R. Act

एवं गंगासिंह व गंगाबक्ससिंह द्वारा ही व्यक्ति होना बताया तथा ग्राम पंचायत द्वारा व्यक्ति एवम् नाम की सही सत्यापन किये जाने पर अर्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अर्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आ० क्र० 13350.64 है० वाके ग्राम अनेठी तहसील-कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर गंगाबक्ससिंह पुत्र भंवरसिंह दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कोटपूतली को दिये जाते हैं। पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/12/2022 को मुख्य कोर्ट में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)